

अनुमति-पत्र

दिनांक ..०८/६/११.....

मूहर

दिनांक20



वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।